पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 27 फाल्गुन, 1936 (शo)
18 मार्च, 2015 (ईo)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) लघु जल संसाधन विभाग	01
(2) जल संसाधन विभाग	01
(3) ग्रामीण कार्य विभाग	01
कुल योग —	03

नलकूप का विद्युतीकरण करना

7. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नाबार्ड फेज 8 योजना अन्तर्गत 1591 नलकूप है जिसमें 557 अदद् डीजल चालित एवं 34 अदद् सोलर चालित नलकूप है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 फरवरी, में डीजल एवं सोलर चालित नलकूपों को विद्युतीकरण हेतु 9,223.57 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी जिसके विरुद्ध रुपये 528.00 लाख का भुगतान कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को किया जा चुका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 1591 नलकूपों को अबतक विद्युतीकरण कर चालू नहीं की गयी है जिसके कारण 1360 हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं हो सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक 1591 नलकूपों का विद्युतीकरण का कार्य कराने का विचार रखती है ?

पूर्ण राशि खर्च करना

8. डॉ० अच्युतानंद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 जनवरी, 2015 के अंक में छपी खबर "तीन माह में व्यय करना होगा बजट का 55 प्रतिशत" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में जल संसाधन विभाग के लिये सरकार द्वारा 1,600 करोड़ रुपये की बजट राशि प्रदान की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिसम्बर, 2014 तक विभाग द्वारा आवंटित राशि में से मात्र 708 करोड़ की राशि ही खर्च किया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 9 माह में स्वीकृत राशि का 44.23 प्रतिशत ही व्यय करने का क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

9. श्री मंजीत कुमार सिंह--दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 के स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में छपे शीर्षक "मंत्री ने माना ग्रामीण सड़कों के डी०पी०आर० में हुई गड़बड़ी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2000 कि०मी० से ऊपर की ग्रामीण सड़कों का डी०पी०आर० बनाने में गड़बड़ी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय मंत्री ने उस गड़बड़ी को सही माना है तथा दोषी कम्पनियों और विभागीय पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की है लेकिन अबतक किसी दोषी कम्पनियों और विभागीय पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी कम्पनियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 18 मार्च, 2015 (ई०)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 157-डी०टी०पी०-450